प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत   दिनांक 10.12.2024

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 534/24 धारा 331(4)/305A/317(2) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.08.2024 को थाना बड़ौत पर वादी सचिन पुत्र महीपाल निवासी नेहरू रोड कस्बा बड़ौत थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 10/11-08-2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी के डीजे के गोदाम का ताला तोडकर 02 एटीआई प्रो 40 , 02 एटीआई प्रो 20 , 02 एमटी एटीआई प्रो , 02 सीए 20 एटीआई प्रो ,02 सीए 18 एटीआई प्रो (कुल 10 मोशपेट) चोरी कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 534/24 धारा 331(4)/305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 534/24 धारा 331(4)/305(A)/317(2) में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- दिनांक 18.08.2024 को अभियुक्तों 1. सुरेश पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम टटीरी थाना व जनपद बागपत हाल पता ग्राम छपरौला गौतमबुद्धनगर, 2. बब्लू पुत्र लाखन निवासी ग्राम दरियापुर थाना जवां जनपद अलीगढ हाल पता ग्राम अछैजा थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर, 3.समीम पुत्र सलीम निवासी पट्टी कमलानगर गुराना रोड कस्बा बड़ौत थाना बडौत जनपद बागपत को चोरी किये सामान के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

आकाश पुत्र स्व0 नीरज निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनिया थाना बडौत जनपद बागपत।

2-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

3-है0का0 674 प्रवेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 10.12.2024**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 141/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.05.2024 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना बिनौली द्वारा पूर्व में आपराधिक घटनाओं में लिप्त अभियुक्तों 1.यामीन पुत्र यासीन निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत हाल पता ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत, 2. पंकज पुत्र रमेश चन्द निवासी रघुनाथ कॉलोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध उच्चाधिकारीगणों के आदेशानुसार थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 141/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 141/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्त यामीन पुत्र यासीन निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत हाल पता ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत थाना खरखोंदा जनपद मेरठ के मु0अ0सं0 48/24 धारा 8/20(b)(II)C/19 एनडीपीएस एक्ट में दिनांक 26.10.2024 से जिला कारागार मेरठ में निरुद्ध है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

पंकज पुत्र रमेश चन्द निवासी रघुनाथ कॉलोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्त पंकज का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 239/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 141/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री नरेश चन्द यादव थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-का0 983 राहुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना खेकडा　　　दिनाँक 10.12.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 7.65 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 7.65 बोर बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 425/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वंश उर्फ हैप्पी पुत्र संजीव निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- **एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 7.65 बोर।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह परमार थाना खेकडा।

2-उ0नि0 यूटी सुजीत कुमार थाना खेकडा।

3-है0का0 497 राधेश्याम थाना खेकडा।

4-है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकडा।

5-का0 789 योगेन्द्र कुमार थाना खेकडा।

प्रेस नोट

थाना खेकडा   दिनाँक 10.12.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय दो जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय दो जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 426/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शनवेज पुत्र इकबाल निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय दो जिन्दा कारतूस .32 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना खेकड़ा।
2-है0का0 292 सिराज थाना खेकड़ा।
3-है0का0 442 मौ0 आफाक थाना खेकड़ा।
4-है0का0 45 अरुण थाना खेकड़ा।
5-है0का0 652 मोहित कुमार थाना खेकड़ा।
6-का0 250 कोमल थाना खेकड़ा।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा **दिनाँक 10.12-2024**

थाना खेकडा पुलिस व एएनटीएफ यूनिट मेरठ की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 100 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, 02 गैस चूल्हे व 20 खाली पोलोथीन व तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी बुलेरो नं0 UP-95W-7962 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस व एएनटीएफ यूनिट मेरठ की संयुक्त टीम द्वारा 02 अवैध मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 100 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, 02 गैस चूल्हे व 20 खाली पोलोथीन व तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी बुलेरो नं0 UP-95W-7962 बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 427/24 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-शेख जुम्मन पुत्र शेख जेनल निवासी जवाहर नगर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ।

2-सुनील कुमार पुत्र सुरेन्द्रपाल सिंह निवासी संजयपुरी कॉलोनी थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- 100 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।
- 02 गैस चूल्हे व 20 खाली पोलोथीन।
- तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी बुलेरो नं0 UP-95W-7962

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 लोकेन्द्र कुमार एएनटीएफ यूनिट मेरठ मय टीम।

2-उ0नि0 श्री विकास चहल थाना खेकडा जनपद बागपत मय टीम।